

न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर
बिजलास डॉ०अमित यादव,आई.ए.एस

राजस्व अपील संख्या -291/2022
जी.सी.एम.एस. पोर्टल नम्बर -2022/378

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोंडेन्ट्स
तेजपाल पुत्र श्री पदमाराम जाति जाट निवासी बीठवाल हाल अरावली वन विभाग के पास नागौर तहसील व जिला नागौर		1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नागौर। 2. पटवारी हल्का नागौर तहसील व जिला नागौर

उपस्थिति:-

1. अपीलान्ट की ओर से वकील श्री महेन्द्र कुमार शर्मा।
2. रेस्पोंडेन्ट्स की ओर से राजपैरोकार श्री ओमप्रकाश पूनिया।

:: निर्णय ::

दिनांक :- 13.09.2023

अपीलान्ट द्वारा यह अपील राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम की धारा 75 के तहत तहसीलदार नागौर द्वारा प्रकरण संख्या 114/2022 सरकार बनाम तेजपाल में पारित निर्णय दिनांक 10.08.2022 से असंतुष्ट होकर प्रस्तुत की गई। अपील के साथ मयाद प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया गया। अपीलान्ट की अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोंडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया।

वकील अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत मयाद प्रार्थना पत्र पर वकूलाय की बहस सुनी गई। वकील अपीलान्ट ने बहस में कथन किया कि अपील पेश करने की निर्धारित समयावधि दिनांक 09.09.2022 तक थी अपीलार्थी द्वारा अपील को तैयार करवाकर पेश करना था, परन्तु अपीलार्थी दिनांक 08.09.2022 व 09.09.2022 को बीमार हो जाने के कारण समय पर अपील पेश नहीं कर सका व नकल प्राप्ति में लगे समय को समायोजित करने पर निर्धारित अवधि 10.09.2022 तक होती है। दिनांक 10.09.2022 व 11.09.2022 को अवकाश होने के कारण अपील दिनांक 12.09.2022 को पेश की गई है, जो उक्तानुसार अन्दर मयाद है, फिर भी हुई देरी को कन्डोन किया जाकर अपील अन्दर मयाद शुमार की जावे। राजपैरोकार ने अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत मयाद प्रार्थना पत्र पर किसी तरह का ऐतराज नहीं होने का कथन किया। उपर्युक्तानुसार तथ्यों के आधार पर अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत मयाद प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील पर वकूलाय की बहस सुनी गई। वकील अपीलान्ट ने बहस में कथन किया कि पटवारी हल्का नागौर द्वारा एक रिपोर्ट तहसीलदार नागौर के समक्ष इस आशय की पेश की कि तेजपाल पुत्र पदमाराम जाति जाट ने मौजा नागौर के ख.नं. 592/906 रकबा 8800 वर्गफीट किस्म गै. मु. अंगोर भूमि पर सम्वत् 2079 में कमरा गैरेज व बाड़ा बनाकर अतिक्रमण किया है। जिस पर तहसीलदार नागौर के न्यायालय में धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज किया गया व अप्रार्थी को नोटिस जारी किया गया जिस पर अप्रार्थी अपीलार्थी ने उपस्थित होकर अपना जवाब पेश किया। तत्पश्चात बिना किसी प्रकार की साक्ष्य लिये व बिना पटवारी हल्का के बयान लिये व जिरह का अवसर दिये बिना व जवाब के तथ्यों पर गौर किये बिना ही बिना बहस सुने तहसीलदार नागौर ने दिनांक 10.08.2022 को अपीलार्थी को अतिक्रमी घोषित करते हुए जुर्माना व बेदखली का आदेश पारित कर दिया, जिसके विरुद्ध यह अपील माननीय न्यायालय हाजा के समक्ष पेश की गई है।

निर्णय जैर अपील खिलाफ कानून व पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों व परिस्थितियों के विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी को किसी प्रकार की साक्ष्य व सुनवायी का अवसर नहीं दिया व बिना किसी प्रकार की साक्ष्य लिये व बिना समुचित सुनवायी का अवसर दिये निर्णय पारित किया है जो निर्णय प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों व न्याय के सामान्य सिद्धान्तों के विपरीत होने से अपास्त होने योग्य है।

विद्वान वकील अपीलान्ट का यह भी कथन है कि अपीलार्थी ने अपने जवाब में स्पष्ट कथन किया कि उसका कमरा गैरेज व बाड़ा शहर नागौर की आबादी के मध्य अरावली वन विभाग कार्यालय के पास बना हुआ है। जो निर्माण आज से करीब 10 वर्षों पूर्व का बना हुआ है व मकान में पिछले वर्षों पूर्व का बिजली कनेक्शन लिया हुआ है व मकान में रहवास के दस्तावेज बने हुए हैं।



2.
कलक्टर नागौर

जो जायगा नागौर की आबादी के मध्य स्थित है किसी प्रकार से सरकारी भूमि नहीं है। उक्त निर्माण के चारों ओर आबादी स्थित है व सैकड़ों की संख्या में रहवासी मकान आस पास व चारों ओर बने हुए हैं व उक्त मकान नगरपरिषद नागौर के वार्ड संख्या 30 में स्थित है। उक्त भूमि किसी भी प्रकार से अंगोर भूमि नहीं है व न ही अंगोर के रूप में काम में आ रही है बल्कि आबादी के मध्य स्थित है। उक्त मकान के आस पास के कई मकानों के पट्टे नगरपरिषद नागौर व नगरपालिका मण्डल से जारी किये जा चुके हैं व कई व्यक्तियों के नाम भूमि का रूपान्तरण होकर पट्टे जारी किये गये हैं व कई व्यक्तियों के नाम नियमन भी किया गया है। इस सम्बन्ध में स्पष्ट कथन अपीलार्थी ने अपने जवाब में अंकित किये परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने जवाब का अवलोकन ही नहीं किया व न ही जवाब के तथ्यों का किसी प्रकार का विवेचन ही किया व न ही अपने निर्णय में तथ्यों का उल्लेख किया है। इसलिये भी अपीलाधीन निर्णय विधिसमत नहीं होने से अपास्त होने योग्य है।

अपीलार्थी का रहवासी मकान किसी भी प्रकार से खसरा नम्बर 592/906 में स्थित नहीं है व न ही अंगोर भूमि में है बल्कि आबादी भूमि में स्थित है। जिसके सम्बन्ध में धारा 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होते हैं। इस सम्बन्ध में पटवारी हल्का के बयान लिये जाने व राजस्व रेकर्ड व पूर्ण नाप चौप रिपोर्ट आदि तमाम राजस्व रेकर्ड पेश करवाया जाकर पटवारी हल्का या राजस्व टीम का गठन कर सीमांकन रिपोर्ट पेश करवायी जाकर पटवारी हल्का से जिरह का अवसर दिया जाना उचित था ताकि सम्पूर्ण वस्तुस्थिति स्पष्ट हो सके। इस सम्बन्ध में अपीलार्थी ने अपने जवाब में स्पष्ट कथन किया व रिपोर्ट एवं सीमांकन रिपोर्ट पेश कराने बाबत स्पष्ट कथन किया परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तथ्यों पर गौर किये बिना ही निर्णय पारित किया है जो विधिसमत नहीं होने से अपास्त होने योग्य है।

अपीलार्थी ने अपने जवाब में स्पष्ट कथन किया है कि उक्त मकान खसरा नम्बर 592/906 में स्थित नहीं है बल्कि आबादी में स्थित है। इसलिये इस सम्बन्ध में अतिक्रमण साबित करने हेतु पटवारी हल्का व भू अभिलेख निरीक्षक के बयान करवाये जाने व अतिक्रमण साबित करने हेतु मौका रिपोर्ट मय सीमांकन पेश करवायी जानी आवश्यक थी। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने बिना साक्ष्य से अतिक्रमण साबित किये ही गलत रिपोर्ट के आधार पर निर्णय पारित किया है, व विधि के आज्ञापक प्रावधानों की अवहेलना कर निर्णय पारित किया है जो विधिसमत नहीं होने से अपास्त होने योग्य होने का कथन करते हुए वकील अपीलान्ट ने अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 10.08.2022 को अपास्त करने का आदेश प्रदान करने एवं विकल्प में अपीलाधीन आदेश को अपास्त कर राजस्व टीम से सम्पूर्ण भूमि का पूर्ण नाप चौप कर सीमांकन रिपोर्ट पेश करवाकर पटवारी हल्का के बयान लेकर व साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए पुनः निर्णय पारित करने के निर्देश के साथ प्रकरण तहसीलदार, नागौर को प्रतिप्रेषित किये जाने का आदेश प्रदान करने का निवेदन किया है।

विद्वान वकील अपीलांट ने अपने कथनों के समर्थन में आर0आर0डी0 1980 पेज 483 एवं आर0आर0डी0 1980 एनयूसी 66 के न्यायिक दृष्टान्त पेश कर यह निवेदन किया कि पटवारी द्वारा बिना जॉच किये एक पक्षीय रिपोर्ट पेश की है, जो निरस्त योग्य हैं एवं तहसीलदार को आबादी भूमि के सम्बन्ध में दफा 91 एल.आर.एक्ट. के तहत कार्यवाही करने के अधिकार नहीं हैं।

राजपेरोकार ने अपनी बहस में यह कथन किया आराजी मुतनाजा गै0मु0 अंगोर की भूमि हैं तथा इस प्रकार की भूमि पर व्यक्ति विशेष को कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। अपीलांट द्वारा गै0मु0 अंगोर की भूमि पर नाजायज कब्जा कर अतिक्रमण किया है, जिसके विरुद्ध तहसीलदार, नागौर द्वारा प्रकरण दर्ज कर बेदखली एवं जुर्माना के आदेश दिये हैं, जो सही दिये गये हैं। अपील अपीलांट खारिज फरमायी जावें।

राजपेरोकार ने अपने कथन के समर्थन में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर डी.बी. सिविल रिट पीटिशन संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम राज0राज्य में पारित निर्णय दिनांक 02.08.2004 की प्रति पेश कर अंगोर भूमि पर किये गये अतिक्रमण को हटाये जाने का निवेदन किया।


बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। माननीय न्यायालयों की पेश नजीरों का सम्मानपूर्वक अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह प्रकट है कि पटवारी हल्का, नागौर द्वारा गैर सायल के विरुद्ध मौजा नागौर के खसरा नम्बर 592/906 रकबा 8800 वर्गफीट किस्म भूमि गै0मु0 अंगोर भूमि पर जरिये कमरा गैरेज व बाड़ा बनाकर नाजायज कब्जा कर अतिक्रमण किये जाने की रिपोर्ट तहसीलदार, नागौर को पेश की है। तहसीलदार, नागौर द्वारा प्रकरण संख्या 114/2022 दर्ज रजिस्टर कर गैर सायल को विधिवत सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुये दिनांक 10.08.2022 को निर्णय पारित किया है। अपीलांट का



यह कहना कि उन्हें सुनवाई एवं सबूत पेश करने का पर्याप्त अवसर प्रदान नहीं किया गया है, पत्रावली के अवलोकन से यह कथन स्वीकार योग्य नहीं है। पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट प्रकट है कि अपीलांट को साक्ष्य सबूत पेश करने एवं सुनवाई का पर्याप्त समय दिये जाने के बावजूद खसरा नम्बर 592/906 की भूमि पर किये गये अतिक्रमण की भूमि अपीलांट के स्वामित्व की भूमि होने के सम्बन्ध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया है, जिससे यह स्पष्ट प्रकट होता है कि गैर सायल द्वारा गै0मु0 अंगोर की भूमि पर कमरा, गैरेज व बाड़ा बनाकर नाजायज अतिक्रमण किया गया है तथा जिसके विरुद्ध तहसीलदार, नागौर द्वारा की गई यह कार्यवाही विधिवत है एवं तहसीलदार, नागौर के निर्णय दिनांक 10.08.2022 में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्त द्वारा प्रस्तुत यह अपील खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार नागौर द्वारा पारित निर्णय जैरे अपील की पुष्टि की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय को उनकी मूल पत्रावली लौटाते हुऐ निर्णय की प्रति पालनार्थ भिजवाई जावे। निर्णय आज दिनांक 13.09.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।




(डॉ० अमित यादव)
जिल्म दफ्तर नागौर